प्रश्न सं. [क्र. 1697]
तारांकित प्र.क्र. 1697

-: परिशिष्ट "अ" :-

पन्ना में श्री जुगल किशोर लोक के निर्माण हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला पन्ना मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक 2758/डी.एम.एफ/ZP-2/2023 पन्ना दिनांक 31.07.2023 से राशि 10.00 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जिसके अनुक्रम में श्री जुगल किशोर लोक के निर्माण हेतु प्राक्कलित लागत 11.21 करोड डी.पी.आर तैयार कराया गया है। जिसको तकनीकी स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर द्वारा अपने पत्र क्र. 2107 दिनांक 22.11.2024 से संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल प्रेषित किया गया, तकनीकी स्वीकृति के संबंध में प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्र.15117 दिनांक 30.12.2024 द्वारा डी.पी.आर में आवश्यक पूर्ति एवं सुधार के दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक पूर्ति एवं सुधार कर डी0पी0आर को पुनः कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर की ओर अनुशंसा सहित प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त उपरांत निविदा आमंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म.प्र.)

(हिमांशु सिंह)
संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

तारांकित प्र. 1697

-: परिशिष्ट "ब" :-

विधानसभा जुलाई 2024 प्रश्न क्रमांक 3194 दिनांक 19.07.2024 में प्रश्नकर्ता द्वारा पन्ना नगर में किलकिला नदी पर वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट बनाये जाने के संबंध में प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में मंत्री जी द्वारा परिशिष्ट अ अनुसार डी.पी.आर. तैयार किया जाकर संचालनालय नगरीय प्रशासन भोपाल को प्रेषित किये जाने की जानकारी से अवगत कराया था। पूर्व में तैयार डी.पी.आर. राशि रू. 19.83 करोड थी जिसमें आवश्यक संशोधन उपरांत राशि रू. 22.42 करोड हुई जिसकी पी.आई.सी. की बैठक दिनांक 13.12.2024 से संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0 भोपाल से स्वीकृति हेतु भेजे जाने की अनुंशसा की गई है, जिसके अनुसार निकाय के द्वारा शासन के निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म.प्र.)

(हिमांशु सिंह)
संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

तारांकित प्र. क्र. 1697

-: परिशिष्ट "स" :-

विधानसभा जुलाई 2024 प्रश्न क्र. 3194 में प्रश्नकर्ता द्वारा नगर के बाहर कचरा फेकने हेतु कोई स्थान न होने के कारण रिसाईकिल प्लांट स्थापित करने के संबंध में प्रश्न पूछा था जिसके संबंध में मंत्री जी द्वारा परिशिष्ट ब अनुसार पन्ना नगर में नवीन बडा कचरा प्रसंस्करण केन्द्र हेतु नवीन भूमि के चिन्हांकन की प्रक्रिया की जा रही है से अवगत कराया था। वर्तमान में भूमि आवंटन की कार्यवाही नही हो सकी। कलेक्टर महोदय द्वारा ग्राम सिमरा के शासकीय आराजी क्र. 6/1 के रकवा 21.0800 हेक्टेयर एवं शासकीय आराजी क्र.7 के रकवा 21.5700 हेक्टेयर भूमि नवीन बडा कचरा प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना हेतु चिन्हित की गई है। जिसके आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है। राजस्व विभाग द्वारा गैर वन भूमि आवंटन उपरांत कचरा प्रसंस्करण केन्द्र बनाया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पन्ना (म.प्र.)

(हिमांशु सिंह)
संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग